चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज- 5.0" महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

□"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5" के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल,उ0नि0 कैलाश, मुख्य महिला आरक्षी रितु,महिला आरक्षी ज्योति द्वारा दादू भाई चतुर्वेदी इण्टर कॉलेज मारकुण्डी में, निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह थाना मऊ एवं मिशन शक्ति टीम मऊ द्वारा परानू बाबा मंदिर परिसर में चौपाल लगाकर,मिशन शक्ति टीम रैपुरा द्वारा लालापुर वाल्मिकी आश्रम, बोडी पोखरी में,महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा बस स्टैण्ड कर्वी में महिलाओं/बालिकाओ, छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के सम्बन्ध में जाकरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये

उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पहाड़ी पुलिस ने 02 अभियुक्तों से क्रमशः 19 क्वार्टर देशी शराब व 21 क्वार्टर देशी शराब बरामद किया

(i). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर मय हमराह हे0का0 सौरभ कुमार द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र चुन्नू खाँ उम्र 23 बर्ष निवासी ग्राम बारामाफी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 19 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(ii). उ0नि0 जंग बहादुर सिंह मय हमराह का0 शुभम द्विवेदी द्वारा अभियुक्त छोटे लाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ उम्र 37 बर्ष निवासी ग्राम बारामाफी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 21 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(3). आज दिनांक 29.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा शारदीय नवरात्रि/आगामी दशहरा पर्व के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु रामघाट क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट द्वारा रामघाट में घाटों पर श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं दुर्गा पण्डाल आयोजकों से संवाद कर सुरक्षा उपायों की जानकारी प्राप्त कर सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भ्रमण के दौरान चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(4).आज दिनाँक 29.09.2025 को अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस बल द्वारा शारदीय नवरात्रि/आगामी दशहरा पर्व के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु कर्वी शहर में पैदल गस्त कर संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर लोगों को बदमाशों एवं ड्रोन उड़ने की अफवाहों से बचने,सावधान रहने एवं गांव में आने वाले अजनबी व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार न करने के संबंध में विशेष रूप से जागरुक किया गया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

▶ आवेदिका श्रीमती नेहा त्रिपाठी पत्नी बद्री त्रिपाठी निवासी बड़ी पाटिन थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति अनुराग त्रिपाठी पुत्र बद्री त्रिपाठी निवासी मझगवा जनपद सतना मध्य प्रदेश व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अ0सं0 507/15 धारा 60(2) भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त टिंकू उर्फ रिंकू पुत्र श्रीकेशन केवट निवासी कपसेठी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता

2.आरक्षी अनुज यादव

3.राममूरत यादव